तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इस में
29-8-24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की एक तरफा बहस पूर्व मे सुनी गई थी। वकील वादी ने अपनी बहस वाद पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा गन्देलिया प-ह होराई कि खाता स-30 मे आराजी स 35, 37, 38 कुल किता- 3 कुल रकबा 0.080 है भूमि हम वादीगण के खातेदारी कि है। प्रतिवादीगण उक्त आराजियात के पडौसी होकर अनाधिकृत रूप से वादी गण की भूमि पर अतिक्रमण कर नया रास्ता कायम करना चाहते है। और आय दिन वादी गण के शांतिपूर्वक उपयोग- उपभोग मे बाधा उत्पन्न करते हुए झगडा करते रहते है, जब कि वादीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः वादी गण की कब्जे काश्त कृषि आराजियात मे प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी गण की उक्त आराजियात मे न तो स्वयं प्रवेश करे एवं न ही इनका नौकर एजेन्ट रिश्तेदार आदि से प्रवेश करे एवं न ही करावें। एवं न ही वादी की उक्त आराजियात मे वादी व उसके परिवार के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे। पत्रावली मे वकील वादी की एक तरफा बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। एवं पत्रावली व दस्तावेज का गहन अवलोकन किया गया पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संम्वत 2073-76 जो प्रदर्श-1 है। जिस मे वादीगण खातेदार है। प्रकरण मे प्रतिवादीगण कि ओर से जवाब दावा पेश नही करने से जवाबदावा का अवसर बन्द किया जाकर प्रतिवादी गण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। उक्त आराजियात के वादी गण सहखातेदार है। हमारी भिन्न राय से कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी कि कृषि भूमि मे बाधा उत्पन्न करने वालो को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा सकता है। वकील वादी की बहस से हम सहमत है। दावा स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	अतः वाद वादीगण का स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा गन्देलिया प.ह. डोराई कि आराजी स. 35, 37, 38 कुल-3 कुल रकबा 0.080 है. भूमि मे न तो स्वयं प्रवेश करें एवं न ही कोई नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि प्रवेश करें एवं न ही करावें न ही वादीगण व परिवार के उपयोग-उपभोग मे किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करें। निर्णय आज दिनांक 29.8.2024 को सरे ईजलास सुनाया जाकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/-	